(113)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1039-PBR/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–10–2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर वृत्त–3 जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 120/2014–15/अ–12.

संजय कुमार पाल पुत्र श्री रामचन्द्र पाल
निवासी ग्राम समरधा तहसील हुजूर
जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री एस0डी0माहेश्वरी
निवासी ई 2/40 अरेरा कॉलोनी भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री वी0पी0तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर वृत्त–3 जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–10–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 120/अ–12/14–15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का

सीमांकन कराया जाकर दिनांक 5–10–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और एक ही दिन में सीमांकन कार्यवाही की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामें में गलत उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है जबकि वास्तव में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नक्शे में प्रश्नाधीन भूमि सीधी है जबकि फील्डबुक में प्रश्नाधीन टेडी दशाई गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के पालन में कार्यवाही नहीं की गई है और पडोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदक को सूचना दी जाकर उसकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है और आवेदक के उपस्थित होने के बावजूद भी उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया है जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवालेकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, क्योंकि अभिलेख में पक्षकारों को नोटिस तामीली का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सीमांकन में स्थायी सीमा चिन्ह कहॉ से लिया गया है यह नक्शे एवं फील्डबुक से स्पष्ट नहीं हो रहा है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–10–2015 निरस्त किया जाकर

प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये सीमांकन की कार्यवाही करें।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर वृत्त–3 जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–10–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.